ब्यूटी पार्लर में नहीं छिपी नान घोटाले की काली कमाई, गर्लफ्रेंड भी घेरे में आई

24.74 लाख रुपये थी वैध आय, घोटाले के आरोपित भट्ट की काली कमाई से मिले थे पौने दो करोड़

- हाई कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया हिसाब

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। ●फाइल फोटो

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: प्रदेश में हुए 36 हजार करोड़ रुपये के नान घोटाले में आरोपित पूर्व मैनेजर शिवशंकर भट्ट की महिला मित्र के विरुद्ध आरोप तय कर दिए गए हैं। ब्यूटी पार्लर चलाने वाली उसकी गर्लफ्रेंड की वैध आय सिर्फ 24.74 लाख थी, जबकि उसके पास पौने दो करोड़ की संपत्ति है, जो कि उसने भट्ट की काली कमाई से अर्जित की है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को अपनी कमाई का हिसाब-किताब भी दिया, लेकिन खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सकी।

नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में हुए घोटाले में पूर्व मैनेजर शिवशंकर भट्ट को आरोपित बनाया गया है। इस मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू स्पेशल कोर्ट ने उसकी महिला मित्र मधुरिमा शर्मा को सहआरोपित माना है। इसे लेकर मधुरिमा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच में हुई।

हाई कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों की पड़ताल से साफ है कि याचिकाकर्ता के पास 1.60 करोड़ रुपये की संपत्ति मिली, जबकि उसकी कुल वैध आय सिर्फ 24.74 लाख थी। कोर्ट ने माना कि उसने शिवशंकर भट्ट की अवैध कमाई को अपने नाम से निवेश कर षड्यंत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। ईओडब्ल्यू के अनुसार जांच में सामने आया है कि भट्ट ने 3.89 करोड़ की अवैध संपत्ति जुटाई थी, जो उसकी वास्तविक आय से कई गुना अधिक थी। बता दें कि सार्वजनिक वितरण के लिए निम्न गुणवत्ता का चावल और नमक खरीदने तथा उसके परिवहन से जुड़ा है। यह घोटाला 2015 में प्रकाश में आया था। इस मामले में आइएएस अफसरों समेत 18 आरोपित हैं।